तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एल0आर0/1031/2006/टोंक** **कल्याण बनाम चन्द्रा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री, अशोक अग्रवाल अभिभाषक, निगरानीकर्ता।

निर्णय **दिनांकः 20.7.2021**

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 84 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत विद्वान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा दिनांक 12–12–2005 अपील सं0 66/2005 शीर्षक कल्याण बनाम चन्द्रा व अन्य के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के समक्ष एक अपील विरूद्व आवंटन आदेश क्रमांक 726 दिनांक 30–7–2004 जिसके द्वारा भूमि आराजी खसरा नं0 1683 रकबा 0–14 है0 व खसरा नं0 1685/1842 रकबा 0–22 है0 वाके ग्राम छाण बाससूरिया तहसील टोडा रायसिंह का आवंटन रेस्पो0 सं0 1 के हक में किया गया है, के विरूद्व प्रस्तुत की गई जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12–12–2005 से विवादित भूमि अतिरिक्त जिला कलक्टर बीसलपुर के आदेश क्रमांक 857–60 दिनांक 4–8–2004 के द्वारा प्रतिपक्षी सं0 1 को कीमतन आवंटन की है। यदि अपीलार्थीगण का पुराना कब्जा है तो उसे विवादित भूमि को आवंटित/नियमन करवानी चाहिए थी, जो नहीं करवायी गयी है। प्रथम दृष्ट्या केस एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में नहीं पाया जाता है। अतः इस स्तर पर स्थगन नहीं दिया जा सकता। प्रतिपक्षी की तलबी की जावें, के आदेश पारित किये गये हैं जिस आदेश दिनांक 12–12–2005 से व्यथित होकर निगरानीकर्ता ने यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– योग्य अधिवक्ता निगरानीकर्ता की एकपक्षीय बहस निगरानी पर सुनी गयी।

4– योग्य अधिवक्ता निगरानीकर्ता/प्रार्थी ने निगरानी में अंकित तथ्यों कों दोहराते हुए तर्क दिया कि अधीनस्थ विद्वान अपीलीय न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं रेकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। विद्वान

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/एल0आर0/1031/2006/टोंक</u>** **कल्याण बनाम चन्द्रा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रार्थीगण का स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनने के उपरान्त स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है जबकि प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में थी। अतः विद्वान अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक 12–12–2005 को निरस्त करते हुए प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर विवादित आराजी की मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

5– विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी टोंक ने दिनांक 12–12–2005 को आदेश पारित किया कि ‘‘विवादित भूमि अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीसलपुर के आदेश क्रमांक 857–60 दिनांक 4–8–2004 के द्वारा प्रतिपक्षी सं0 1 को कीमतन आवंटित की है। यदि अपीलार्थीगण का पुराना कब्जा है तो उसे विवादित भूमि को आवंटित/नियमन करवानी चाहिए थी, जो नहीं करवाई गयी है। प्रथम दृष्ट्या केस एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में नहीं पाया जाता है। अतः इस स्तर पर स्थगन नहीं दिया जा सकता। प्रतिपक्षीगण की तलबी की जावें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होकर पत्रावली दिनांक 23–1–2006 को पेश हो।’’ उक्त आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का उक्त आदेश अन्तरिम आदेश है। स्थगन पर कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है। अन्तरिम आदेश के विरूद्ध निगरानी मण्डल में संधारणीय (पोषणीय) नहीं है।

6– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार निगरानी खारिज की जाती है।

7– पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नियमानुसार नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य